"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 589] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 नवम्बर 2014— कार्तिक 21, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक 9614/डी. 176/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 4 सन् 2014)

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्र. 15 सन् 2013) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआइटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्र. 15 सन् 2013) को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (क्र. 15 सन् 2013) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 12 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(4) निदेशक का पद मृत्यु, पदत्याग, अवकाश, रुग्णता के कारण या अन्यथा रिक्त होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, धारा 20 के अधीन नियुक्त निदेशक के उसके पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, बोर्ड, अपने किसी सदस्य को निदेशक के कृत्य सौंप सकेगा :

परन्तु यह कि बोर्ड ऐसे सदस्य को परिलब्धियां और भत्ते निर्णीत कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस उप-धारा में अनुध्यात की गई व्यवस्था, छ: माह से अधिक की कालावधि के लिये निरंतर नहीं रहेगी."

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक 9614/डी. 176/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE

(No. 4 of 2014)

THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (IIIT) UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

An Ordinance further to amend the International Institute of Information Technology (IIIT) University Act, 2013 (No. 15 of 2013).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the International Institute of Information Technology (IIIT) University (Amendment) Ordinance, 2014.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

The International Institute of Information Technology (IIIT) University Act, 2013 (No. 15 of 2013) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the International Institute of Information Technology (IIIT) University Act, 2013 (No. 15 of 2013) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3 of this Ordinance.

Amendment of Section 12.

3. After sub-section (3) of Section 12 of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

   "(4) In the event of any vacancy, including a temporary vacancy in the Office of Director, by reason of death, resignation, leave, illness or otherwise, the Board may entrust to any of its members the functions of the Director, till the date on which Director appointed under Section 20 enters upon his office :

   Provided that the Board may decide the emoluments and allowances of such member :

   Provided further that the arrangement contemplated in this sub- section shall not continue for a period of more than six months."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.